



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 48]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 6/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 80(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I -2.5% में,

- (i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“76क	13	इमली गिरी का पाउडर”;
------	----	----------------------

- (ii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“78क	1404 या 3305	मेहंदी पेस्ट, कोन्स में”;
------	-----------------	---------------------------

- (iii) क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“103ख	2302	राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)”;
-------	------	---

- (iv) क्रम संख्या 165 में, कॉलम (3) में “पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या” शब्दों को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“165क	2711 12 00	लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाइड प्रोपेन और लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस, पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए”;
	2711 13 00,	
	2711 19 00	

- (i) क्रम संख्या 198क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “पुआल, एस्पेराँओ या अन्य संग्रथन सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोर्डूरोय फैब्रिक्स, वेलवेट फैब्रिक्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 224 क में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “6309 या 6310”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“243क	88 या अन्य कोई अध्याय	वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण, उपस्कर, सहायक सामग्री, कलपुर्जे, घटक, स्पेयर्स, टूल्स, मोक अप्स और मॉड्यूल्स, कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों”;
-------	-----------------------	--

(ख) अनुसूची II -6%, -

- (i) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“32कक	1704	शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी”;
-------	------	--------------------------

- (ii) क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“46ख	2201	20 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल”;
------	------	-----------------------------------

- (iii) क्रम संख्या 56 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “28 या 38” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“57ख	2809	उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड”;
------	------	-----------------------------------

- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि “29 या 3808 93” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“78क	3808	निम्नलिखित बायो-पेस्टीसाइड्स, यथा -
		1 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. इजराइलेंसिस
		2 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. कस्टकी
		3 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. गेलेरिया
		4 बेसिलस स्फेरिकस

	5	ट्राइकोडर्मा विरिडे
	6	ट्राइकोडर्मा हर्जियानम
	7	स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस
	8	ब्यूवेरियाबसियाना
	9	एनपीवी ऑफ हेलिकोवर्पासिगेरा
	10	एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरेलिटूरा
	11	नीम आधारित कीटनाशी
	12	सिम्बोपोगन

- (vii) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“80क	3826	बायो डीजल”;
------	------	-------------

- (viii) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“99क	44 18	बंबू वुड बिल्लिंग ज्वाइनरी”
99ख	44 19	काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर”;

- (ix) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 133 में, कॉलम (3) में “एबजिबेंट कॉटन वूल्स” शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक “[सिगरेट फिल्टर राइस को छोड़कर]” को जोड़ा जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “बोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल फैब्रिक्स, कोर्डूराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर, उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 में दिए गए हैं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“195ख	8424	स्पीकलर्स; ड्रीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस; मैकेनिकल्स स्प्रेयर्स भी आते हैं”;
-------	------	--

(C) अनुसूची III-9% में, -

- (i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में “वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित” शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक, “[इमली गिरी के पाउडर से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) में, “ग्राउंड नट्स सीड और गजक” शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर “ग्राउंड नट्स सीड, गजक और शुगर ब्वायल्ड कन्फेक्शनरी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 24 में, कॉलम (3) में “बिना फ्लेवर वाले पदार्थ” शब्दों के पश्चात् “[20 लीटर की बोतलों में बंद पेय जल से भिन्न]” शब्दों को जोड़ा जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 39 में, कॉलम (3) में “वस्तुओं की अन्य दर सूची” शब्दों के पश्चात् “फास्फोरिक एसिड की श्रेणी के उर्वरक समेत” को जोड़ा जाएगा।
- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट, कोन्स में, को छोड़कर]”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 87 में, कॉलम (3) में “और इसी प्रकार के उत्पादों” शब्दों के पश्चात् शब्द अंक और कोष्ठक “[अनुसूची-II के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो-पेस्टीसाइड्स से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 137च में, कॉलम (3) में “शिंगिल्स और शेक्स” शब्दों के स्थान पर “[बंबू वुड विलिंग ज्वाइनरी से भिन्न]” शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“163क	56012200	सिगरेट फिल्टर राइस”;
-------	----------	----------------------

- (x) क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“236क	7323 9410	घमेला”
236ख	7324	सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से, जो कि लोहा और इस्पात से बने हुए हैं”;

- (xi) क्रम संख्या 325 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “यांत्रिक उपकरण (चाहे ये हस्तचालित हों या नहीं) जो कि लिक्विड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्पेंसिंग या स्प्रेइंग के काम में आते हों; अग्निशामक, चाहे या चार्जड हों या नहीं; स्प्रे गन और इसी प्रकार के उपकरण; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [स्पींकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटलर्स भी आते हैं; मैकेनिकल स्पेयर्स; नोजल, जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्पींकलर्स में लगाए जाते हैं, से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“399क	8702	बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और केवल जैव ईंधन से चलती हैं”
-------	------	--

(घ) अनुसूची -IV-14 %, में -

- (i) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“229	कोई भी अध्याय	बाजी, जुआ या रेस क्लब में धुड़-दौड़ में जीत की संभावना के रूप में किए जाने वाले दावे”
------	---------------	---

(ड.) अनुसूची -V-1.5% में -

- (i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहें ये तराशे गए हों या नहीं या इनकी ग्रेडिंग हुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़े न गए हों; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों “[अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग, जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों “[लाक/शेलाक की चूड़ियों से भिन्न]” को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “नकली आभूषण [लाक/शेलाक की चूड़ियों से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(च) अनुसूची -VI-0.125% में, -

- (i) क्रम संख्या 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी वस्तुओं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, जिन पर कोई काम नहीं हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	7103	मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न)”
-----	------	---

- (iv) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“2क	7104	सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग”
-----	------	---

[फा. सं. 354/1/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1387(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 6/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in Schedule I - 2.5%,

- (i) after S. No. 76 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“76A	13	Tamarind kernel powder”;
------	----	--------------------------

- (ii) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	1404 or 3305	Mehendi paste in cones”;
------	-----------------	--------------------------

- (iii) after S. No. 103A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“103B	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)”;
-------	------	---

- (iv) in S. No. 165, in column (3), the words, “to household domestic consumers or”, shall be omitted;

- (v) after S. No. 165 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“165A	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 00	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers”;
-------	---	--

- (vi) in S. No. 198A, for the entry in column (3), the entry “Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork”, shall be substituted;

- (vii) in S. No. 219A, for the entry in column (3), the entry “Corduroy fabrics, velvet fabrics”, shall be substituted;

- (viii) in S. No. 224A, for the entry in column (2), the entry “6309 or 6310”, shall be substituted;

- (ix) after S. No. 243 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“243A	88 or Any other chapter	Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads”;
-------	-------------------------------	--

(B) in Schedule II-6%, -

- (i) after S. No. 32A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“32AA	1704	Sugar boiled confectionery”;
-------	------	------------------------------

- (ii) after S. No. 46A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“46B	2201	Drinking water packed in 20 litres bottles”;
------	------	--

- (iii) in S. No. 56, for the entry in column (2), the entry “28 or 38”, shall be substituted;

- (iv) after S. No. 57A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57B	2809	Fertilizer grade phosphoric acid”;
------	------	------------------------------------

- (v) in S. No. 59, for the entry in column (2), the entry “29 or 3808 93”, shall be substituted;

- (vi) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	3808	The following Bio-pesticides, namely -
		1 Bacillus thuringiensis var. israelensis
		2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki
		3 Bacillus thuringiensis var. galleriae
		4 Bacillus sphaericus
		5 Trichoderma viride
		6 Trichoderma harzianum
		7 Pseudomonas fluorescens
		8 Beauveria bassiana
		9 NPV of Helicoverpa armigera
		10 NPV of Spodoptera litura
		11 Neem based pesticides
		12 Cymbopogon”;

- (vii) after S. No. 80 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“80A	3826	Bio-diesel”;
------	------	--------------

- (viii) for S. No. 99A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“99A	4418	Bamboo wood building joinery
99B	4419	Tableware and Kitchenware of wood”;

- (ix) S. No. 103 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (x) S. No. 104 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xi) in S. No. 133, in column (3), after the words, “Absorbent cotton wool”, the words and brackets, “[except cigarette filter rods]”, shall be added;
- (xii) in S. No. 147, for the entry in column (3), the entry “Woven pile fabrics and chenille fabrics except Corduroy fabrics, velvet fabric, other than fabrics of heading 5802 or 5806”, shall be substituted;
- (xiii) after S. No. 195A, and entries relating thereto the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“195B	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers”;
-------	------	--

(C) in Schedule III - 9%, -

- (i) in S. No. 3, in column (3), after the words “derived from vegetable products” the words and brackets, “[other than tamarind kernel powder]” shall be added;
- (ii) in S. No. 12, in column (3), for the words “groundnut sweets and gajak”, the words “groundnut sweets, gajak and sugar boiled confectionery”, shall be substituted;
- (iii) in S. No. 24, in column (3), after the words, “matter nor flavoured”, the words and brackets, “[other than Drinking water packed in 20 litres bottles]” shall be added;
- (iv) in S. No. 39, in column (3), after the words, “other Rate Schedules for goods”, the words, “including Fertilizer grade Phosphoric acid” shall be added;
- (v) in S. No. 59, for the entry in column (3), the entry “Preparations for use on the hair [except Mehendi pate in Cones]” shall be substituted;
- (vi) in S. No. 87, in column (3), after the words, “and similar products”, the words, figure and brackets, “[other than bio-pesticides mentioned against S. No. 78A of schedule -II]” shall be added;
- (vii) S. No. 99, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (viii) in S. No. 137F, in column (3), after the words, “shingles and shakes”, the words and brackets, “[other than bamboo wood building joinery]” shall be added;
- (ix) after S. No. 163 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“163A	56012200	Cigarette Filter rods”;
-------	----------	-------------------------

- (x) for S. No. 236A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“236A	7323 9410	Ghamella
236B	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel”;

- (xi) in S. No. 325, for the entry in column (3), the entry “Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]” shall be substituted;

- (xii) after S. No. 399 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“399A	8702	Buses for use in public transport which exclusively run on Bio-fuels”;
-------	------	--

(D) in Schedule-IV-14%, -

- (i) in S. No. 164, for the entry in column (3), the entry “Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [other than buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 228, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“229	Any Chapter	Actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling, or horse racing in race club”;
------	-------------	--

(E) in Schedule-V-1.5%, -

- (i) S. No. 2, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry “Semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped]” shall be substituted;
- (iii) in S. No. 4, for the entry in column (3), the entry “Synthetic or reconstructed semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport]” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 13, in column (3), the words and symbols, “[other than bangles of lac/shellac]” shall be omitted;
- (v) against S. No. 17, in column (3), for the entry, the entry “Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]” shall be substituted.

(F) in Schedule-VI - 0.125%, -

- (i) in S. No. 1, for the entry in column (3), the entry, “All goods” shall be substituted;
- (ii) in S. No. 2, for the entry in column (3), the entry, “Semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;
- (iii) after S. No. 2, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“2A	7103	Precious stones (other than diamonds), ungraded precious stones (other than diamonds)”;
-----	------	---

- (iv) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, “Synthetic or reconstructed semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;
- (v) after S. No. 3, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“4	7104	Synthetic or reconstructed precious stones”;
----	------	--

[F. No. 354/1/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 41/2017-Central Tax (Rate), dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1387 (E), dated the, 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 7/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 81(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न] को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा : -

“102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	विनौले की खली”;

- (iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “7117” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में “कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं”, शब्दों के स्थान पर “घमेला से भिन्न” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “विभूति” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

“151	कोई भी अध्याय	“सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे”;
------	---------------	--

[फा. सं. 354/1/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव